लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./शिक्षक डाटा बेस/2008/18/ 202 भोपाल, दि: 18/8/08

प्रति,

1. संभागीय संयुक्त संचालक, समस्त संभाग
2. जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले

विषय : शिक्षक डाटाबेस के माध्यम से वेतन पत्रक तैयार करने हेतु।

संदर्भ : म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्र./882/PSSED/2008/20-1, भोपाल, दि.: 4.7.08

उक्त संदर्भित पत्र के अनुसार स्कूल शिक्षा एवं आदिवासी विकास विभाग के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं के वेतन पत्रक एन.आई.सी. द्वारा विकसित किये गये साफ्टवेअर **(http://demo.mp.nic.in/educationportal)** के माध्यम से तैयार किये जावेंगे, जो कि E-governance की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक डी.डी.ओ. (प्राचार्य, उ.मा.वि.) को पासवर्ड दिया गया है, जिसके उपयोग से वे अपने अधीनस्थ शिक्षक/कर्मचारी की वेतन संबंधी जानकारी को वेबसाईट पर अपडेट कर प्रतिमाह कम्प्यूटर द्वारा वेतन पत्रक प्रिन्ट कर सकते हैं। साफ्टवेअर के द्वारा वेतन पत्रक तैयार करने का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए

- आहरण संवितरण अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा
- साफ्टवेअर के माध्यम से वेतन पत्रक तैयार करने के लिए ऐसे विद्यालयों/केन्द्रों (उत्कृष्ट विद्यालय, ज्ञान पुस्तकालय, विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र,) पर कार्य करें। इंटरनेट एवं कम्प्यूटर सुविधा नहीं होने पर स्थानीय इन्टरनेट केफे से कार्य संपादित करवाया जा सकता है, जिसका भुगतान विद्यालय की स्थानीय निधि से किया जा सकता है।

2. शिक्षक डेटाबेस साफ्टवेअर ऑनलाइन है, अतः साफ्टवेअर के द्वारा उन आहरण संवितरण अधिकारियों की सूची भी देखी जा सकती है, जिन्होंने वेतन पत्रक तैयार करने में साफ्टवेअर का उपयोग नहीं किया है, जिलेवार सूची पत्र के साथ संलग्न है। प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी को यूजरनेम तथा पासवर्ड दिया गया है, जिसे जिला शिक्षा केन्द्र में पदस्थ प्रोग्रामर की सहायता से रिपोर्ट का प्रिन्ट निकाल सकते है।

3. राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार प्रदेश के समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा अगस्त माह के वेतन पत्रक केवल साफ्टवेअर के माध्यम से ही तैयार किये जावें। उक्त कार्य की राज्य स्तर पर सतत मॉनीटरिंग की जा रही है, निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

4. संभागीय संयुक्त संचालक तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पेरा–2 में उल्लेखित रिपोर्ट के आधार अपने स्तर पर समीक्षा करते हुए **यह सुनिश्चित करे कि अगस्त माह में सभी आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन साफ्टवेअर के माध्यम से ही वेतन पत्रक तैयार किये जावे।**

उक्त कार्य के संपादन में यदि किसी प्रकार की कठिनाई किसी डी.डी.ओ. द्वारा महसूस की जाती है, तो वे जिला शिक्षा केन्द्र में पदस्थ प्रोग्रामर अथवा राज्य शिक्षा केन्द्र के प्रोग्रामर श्री नीरज सक्सेना (9425304023) अथवा श्री पंकज श्रीवास्तव (9424342492) से संपर्क कर सकते हैं।

(बी.आर. नायडू) 14/8/08

आयुक्त, लोक शिक्षण

पृ. क्र./शिक्षक डाटा बेस/2008/18/ 203 भोपाल, दि: 18/8/08.

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ।
6. जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ।
7. प्रोग्रामर, जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ।
8. सर्व शिक्षा अभियान की वेब साईट www.ssa.mp.gov.in/Circulars.htm पर 1 वर्ष तक के लिए अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।

14/8/08.

आयुक्त, लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश